Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 59-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026 (VAISAKHA 2, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

दिनांक 22 अप्रैल, 2026

संख्या एफ.जी.–1–68–2026/6187.– भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदेश संख्या सा0 का0 नि0 630(ई), दिनांक 31 अगस्त, 2001 के साथ पठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपाबंध के पैरा 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के दृष्टिगत, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

1. यह आदेश हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जा सकता है।

2. हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त आदेश कहा गया है) में, खण्ड (2) में, उप–खण्ड–(1) में, –

(i) मद (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(ठ) 'वस्तु' से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों (राशन कार्ड धारकों/परिवार पहचान–पत्र धारकों–पी0पी0पी0) में वितरण के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित वस्तु ;'';

(ii) मद (द) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(द) 'उचित मूल्य की दुकान के लिए पात्र आवेदक' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता तथा कम्प्यूटर का मूल ज्ञान रखता हो और जो आवेदन प्रस्तुत करने के समय इक्कीस वर्ष से कम का न हो या पैंतालीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो। आवेदक के पास हरियाणा परिवार पहचान–पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र भी होगा तथा वह उस परिक्षेत्र का निवासी होगा, जिसके लिए उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन किया गया है। आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चालू वर्ष का हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। उचित मूल्य की दुकान का वर्तमान अनुज्ञप्तिधारक इन आदेशों के अधीन आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा और आवेदक किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के निकट संबंधी अर्थात् पिता, माता, सास, ससुर, पति–पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री तथा ब्रदर–इन–लॉ, सिस्टर–इन–लॉ तथा उनके बच्चे, नहीं होंगे। यहां ब्रदर–इन–लॉ तथा सिस्टर–इन–लॉ से अभिप्राय है, "जेठ/जेठानी/देवर/देवरानी/भाभी/अविवाहित ननद''। आवेदक ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच या पंच तथा नगरपालिका समिति, नगर परिषद् या नगर निगम के सदस्य का निकट संबंधी भी नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत का कोई सरपंच या पंच या

नगरपालिका समिति, नगर परिषद् या नगर निगम का कोई सदस्य उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या उसका निकट संबंधी यदि वह बाद में किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या नगर पालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम का सदस्य बन जाता/जाती है, तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद्द की गई समझी जाएगी। आवेदक राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी नहीं होगा। उचित मूल्य की दुकान का कोई भी स्वामी, यदि बाद में राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी बन जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी;'';

(iii) मद (न) में, दो बार आने वाले ''300'' अंकों के स्थान पर, क्रमशः ''500'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त आदेश में, खण्ड 4 में, उप–खण्ड (3) में,–

(i) ''कारोबार'' शब्द के स्थान पर, ''उचित मूल्य की दुकान'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''व्याख्याः– "कुटुम्ब" में वे सभी सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के राशन कार्ड/परिवार पहचान–पत्र में दर्ज किए गए हैं।''।

4. उक्त आदेश में, खण्ड 5 में, उप–खण्ड (1),(2),(3),(4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उचित मूल्य की दुकान के स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय प्रचार और मुनादी जिलावार विज्ञापन द्वारा जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से और किसी सहजदृश्य स्थान पर दीवार पर विज्ञापन नोटिस चस्पा करके उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, आवेदन मांगेगा। उचित मूल्य की नई दुकान के लिए अनुज्ञप्ति ऑनलाइन ढंग से अर्थात् सरल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी।

(2) महिलाओं को उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्तियां देने में तैंतीस प्रतिशत **(33%)** आरक्षण रोस्टर आधार पर लागू किया जाएगा। हरियाणा राज्य के प्रत्येक खण्ड में, उचित मूल्य की दुकान के लिए कम–से–कम एक अनुज्ञप्ति सभी महिला सदस्यों से मिलकर बनने वाले स्वयं सहायता समूह, यदि उपलब्ध हों को प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में, रोस्टर वार्डवार तैयार किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह गांवों के नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियों का रोस्टर तैयार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद शहरी–वार्डों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान के लिए रोस्टर में प्रत्येक तीसरी रिक्ति महिला आवेदकों के लिए आरक्षित की जाएगी। यदि उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में महिलाओं से उनके लिए आरक्षित सीट के विरूद्ध कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो आरक्षित सीट को दूसरा अवसर देने के लिए रिक्त रखा जाएगा। दूसरे अवसर के बाद भी, यदि उक्त आरक्षित सीट के विरूद्ध महिलाओं से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह सीट अनारक्षित के रूप में समझी जाएगी।

(3) सभी पात्र आवेदकों का महिला आरक्षण के तैंतीस प्रतिशत (33%) में अधिमान का प्रवर्ग निम्नानुसार होगा, अर्थात्:–

(1) तेजाब हमले से पीड़ित महिला ;

(2) महिला स्वयं–सहायता समूह ;

(3) विधवा ;

(4) तलाकशुदा/एकल माता ;

(5) अनुसूचित जाति महिला ;

(6) पिछड़ा वर्ग की महिला ;

(7) सामान्य प्रवर्ग की महिला :

परन्तु, यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, अधिमान के उपरोक्त प्रवर्ग (2) के सिवाय तो निम्न वार्षिक सत्यापित पारिवारिक आय वाले आवेदक को उसी प्रवर्ग में अधिमान दिया जाएगा। आवेदकों के बीच सत्यापित पारिवारिक आय की बराबरी के मामले में, उच्चतर अंकों सहित उच्चतर योग्यताएं रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा। वार्षिक सत्यापित पारिवारिक आय, आवेदन की तिथि से मानी जाएगी। आवेदक हरियाणा परिवार पहचान–पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(4) सभी शेष पात्र आवेदकों के लिए अधिमान के प्रवर्ग निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:–

(1) व्यापक बहुउद्देशीय कार्यकलाप सहकारी सोसाइटी (सी0एम0 पैक्स);

(2) अनुसूचित जाति ;

(3) पिछड़ी वर्ग;

(4) सामान्य प्रवर्ग :

परन्तु, यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अधिमान के उपरोक्त प्रवर्ग (1) के सिवाय निम्न वार्षिक सत्यापित पारिवारिक आय वाले आवेदक को उसी प्रवर्ग में अधिमान किया जाएगा। आवेदकों के बीच सत्यापित पारिवारिक आय की बराबरी के मामले में, उच्चतर अंकों सहित उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा। वार्षिक सत्यापित पारिवारिक आय, आवेदन की तिथि से मानी जाएगी। आवेदक, हरियाणा परिवार पहचान–पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(5) उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन, सम्बन्धित निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति या उप–निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी द्वारा उसे अग्रेषित किया जाएगा।''।

5. उक्त आदेश में, खण्ड 6 में, उप–खण्ड (1) में,–

परन्तुक में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा–

''परन्तु यदि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता हो, तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी, जिसे उसके लिखित आवेदन तथा संतोषजनक पूर्व कार्य–प्रदर्शन के आधार पर पैंसठ वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती है।

परन्तु यह और कि यदि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की मृत्यु पचपन वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही हो जाती है, तो उस उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति अनुकम्पा आधार पर उसके किसी एक विधिक वारिस को प्रदान की जाएगी, इस शर्त के अधीन कि मृतक उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का मृत्यु प्रमाण–पत्र, जो उसकी मृत्यु के तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, अन्य सभी विधिक वारिसों से लिखित सहमति ली गई हो, नई उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देने हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो और अन्य विधिक वारिसों, यदि कोई हो, द्वारा उक्त आवेदक विधिक वारिस के पक्ष में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।''

6. उक्त आदेश में, खण्ड 11 में, उप–खण्ड (क) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर, ''एक'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त आदेश में, खण्ड 13 में, उप–खण्ड (1) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु उपरोक्त वर्णित दाण्डिक कार्रवाई के सम्बन्ध में खण्ड 13(1)(ख)(iii) के उपबन्धों के सिवाय कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।''।

8. उक्त आदेश में, खण्ड 16 में, उप–खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1क) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, अपील प्राधिकारी अर्थात् उपायुक्त के निर्णय से व्यथित है, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी अपील प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील प्राधिकारी के निर्णय की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन भी दायर कर सकता है। आगे, केवल पुनरीक्षण आवेदन दायर करना अपील प्राधिकारी के निर्णय का लागूकरण नहीं होने का कारण नहीं होगा, जब तक कि उस पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रोक न लगा दी गई हो।''।

9. उक्त आदेश में, खण्ड 29 के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''30. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 का लागूकरण।– उन मामलों; जिनके संबंध में, इन आदेशों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हैं, तो उसके संबंध में, भारत सरकार द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के उपबन्ध लागू होंगे।''।

जे. गणेशन,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21.04.2026.

HARYANA GOVERNMENT

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Order

The 22nd April, 2026

No. FG-1-68-2026/6187.— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Order GSR No. 630(E), dated the 31st August, 2001 read with para 5 of annexe to the Public Distribution System Control Order, 2001 and keeping in view the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022, namely:-

1. This Order may be called the Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Amendment Order, 2026.

2. In the Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 (hereinafter called the said order), in clause 2, in sub-clause (1),-

(i) for item (l), the following item shall be substituted, namely:-

"(l) 'commodity' means commodity allocated by the State Government or the Central Government for distribution amongst beneficiaries (ration card holders/Parivar Pehchan Patra holders-PPP) through the Targeted Public Distribution System and National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013);";

(ii) for item (r), the following item shall be substituted, namely:-

"(r) 'eligible applicant for Fair Price Shop' means a person having a qualification 10+2 or its equivalent and basic knowledge of computer, who is not less than twenty one years or not more than forty-five years of age at the time of submission of application. The applicant shall also possess a Parivar Pehchan Patra issued by the Haryana Parivar Pehchan Patra Authority and shall be a resident of the locality for which the Fair Price Shop license is applied. The applicant shall submit Haryana Resident Certificate of current year issued by the competent authority. Existing license holder of Fair Price Shop shall not be eligible for application under this Order and the applicant shall not be in close relation i.e. father, mother, father-in-law, mother-in-law, spouse, son, daughter, brother, sister, paternal grandson, paternal grand daughter and brothers-in-law, sisters-in-law and their children with any other Fair Price Shop Owner. (Brother-in-law and Sister-in-law here means **"जेठ/जेठानी/देवर/देवरानी/भाभी/अविवाहित ननद".**) The applicant shall also not be in close relation with a sitting Sarpanch or Panch of the Gram Panchayat and member of Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation. Any Sarpanch or Panch of a Gram Panchayat or a member of Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation shall not be eligible for grant of license for the Fair Price Shop. Any Fair Price Shop Owner or his close relatives, if subsequently, becomes the Sarpanch or Panch of a Gram Panchayat or a member of Municipal Committee, Municipal Council or Municipal Corporation, his license shall also be deemed cancelled. The applicant shall not be a permanent or contractual employee of the State or the Central Government. Any Fair Price Shop Owner, if subsequently becomes permanent or contractual employee of the State or the Central Government; the license shall be cancelled;";

(iii) in item (t), for the figure "300" occurring twice, the figure "500" shall be substituted respectively.

3. In the said order, in clause 4, in sub-clause (3),-

(i) "for the word "business", the word "Fair Price Shop" shall be substituted ; and

(ii) for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation:- "Family" includes all members whose names are entered in the ration card/Parivar Pehchan Patra of the owner of the fair price shop.".

4. In the said order, in clause 5, for sub-clauses (1), (2), (3),(4) and (5), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(1) The Licensing Authority shall call for the applications for grant of license for the Fair Price Shop through local publicity and munadi in the local area of the Fair Price Shop, district-wise advertisement through District Public Relation Officer and by pasting the advertisement notice on the wall (चस्पा) at some conspicuous places. Grant of the license for a new Fair Price Shop shall be made through online mode i.e. on SARAL portal.

(2) Thirty three percent (33%) reservation in the grant of licenses for Fair Price Shops to women shall be implemented on a roster basis. In every Block of State of Haryana, atleast one license for a Fair Price Shop shall be granted to the Self Help Groups consisting of all female members, if available. In urban areas, the roster shall prepared ward-wise, while in rural areas it shall prepared as per the names of villages arranged in alphabetical order. For preparing the roster of vacancies of Fair Price Shops, villages in rural areas shall firstly arranged alphabetically, followed by urban wards serially. Every third vacancy in the roster for Fair Price Shops shall be reserved for women applicants. In case, no application is received from women in respect of grant of license for the Fair Price Shop against their reserved seat, then reserved seat shall be kept vacant for second chance. Even after the second chance, if no application is received against the said reserved seat from women, then this seat shall be treated as unreserved.

(3) The following shall be the category of preference within thirty three percent (33%) of women reservation of all eligible applicants, namely:-

(i) Female victim of acid attack;

(ii) Women Self Help Group;

(iii) Widow;

(iv) Divorced/Single mother;

(v) Scheduled Caste women;

(vi) Backward Class women;

(vii) General Category women:

Provided that if more than one application is received except item (ii) above, then the applicant having lower annual verified family income shall be preferred in same category. In case of tie of verified family income between the applicants, then the applicant having higher qualifications with higher marks shall be preferred. Annual verified family income shall be considered on the date of application. The applicant has to submit verified annual family income issued by the Haryana Parivar Pehchan Patra Authority.

(4) The category of preference for all the remaining eligible applicants shall be as under, namely:-

(i) Comprehensive Multipurpose Activity Co-operative Society (CM-PACS);

(ii) Scheduled Caste;

(iii) Backward Class;

(iv) General category:

Provided that if more than one application is received except item (i) above then the applicant having lower annual verified family income shall be preferred in same category. In case of tie of verified family income between the applicants, then the applicant having higher qualifications with higher marks shall be preferred. Annual verified family income shall be considered on the date of application. The applicant has to submit verified annual family income issued by the Haryana Parivar Pehchan Patra Authority.

(5) Applications for grant of license for the Fair Price Shop shall be verified by the concerned Inspector Food and Supplies or Sub-Inspector Food and Supplies and forwarded by Assistant Food and Supplies Officer.".

5. In the said order, in clause 6, in sub-clause (1),-

in the proviso, the following would be substituted:-

"Provided that no license shall be renewed in case the Fair Price Shop Owner attains the age of sixty years, which can be extended upto sixty five years based on his written application and satisfactory past performance.

Provided further that in case, Fair Price Shop Owner dies before attaining the age of fifty five years, the license of that Fair Price Shop shall be granted on compassionate grounds to one of his legal heir subject to submission of death certificate of the deceased Fair Price Shop Owner, issued by competent authority within three months of his death, written consent of all other legal heirs and fulfillment of all the eligibility conditions for grant of license for a new Fair Price Shop and an affidavit by the other legal heirs, if any, in favour of the said applicant legal heir.".

6. In the said order, in clause 11, in sub-clause (a), for the word "two", the word "one" shall be substituted.

7. In the said order, in clause 13, in sub-clause (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no order with regard to above mentioned penal action shall be made unless the licensee has been given a reasonable opportunity of being heard except for the provision of clause 13 (1)(b)(iii).".

8. In the said order, in clause 16, after sub-clause (1), the following clause shall be inserted, namely:-

"(1A) In case the Licensing Authority or the Fair Price Shop Owner is aggrieved with the decision of the appellate authority i.e. Deputy Commissioner, the Licensing authority or Fair Price Shop owner may also file a revision application against the orders of the appellate authority before the Divisional Commissioner within a period of thirty days from the date of decision of the appellate authority. Further, merely filing of revision application shall not result in non-implementation of the decision of the appellate authority unless it is stayed by the revision authority.".

9. In the said order, after clause 29, the following clause shall be added, namely:-

"30. Impelementation of the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015.- In cases for which no provision has been made in this order the provisions of the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 issued by the Government of India shall apply.".

J. GANESAN,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

Chandigarh:
The 21st April, 2026.

12565—C.S.—H.G.P., Pkl.